



2026:AHC:58586

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या

- 2008 सन् 2026

दिव्यांशु सिंह

.....आवेदक(आवेदकों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार(पक्षकारों)

आवेदक(आवेदकों) के अधिवक्ता : चक्रसूदन दुबे, रमेश कुमार, सोनम उपाध्याय

विपक्षी पक्षकार(पक्षकारों) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति, जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री सी.एस. दुबे और राज्य के विद्वान ए.जी.ए., श्री बी.पी. सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान आवेदन मामला अपराध संख्या 526 सन् 2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 352, 351(3), 109 के अन्तर्गत, थाना कैंट, जनपद गोरखपुर के मामले में अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी बताया गया है कि आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। यह भी बताया गया है कि एक चोट को छोड़कर बाकी सभी चोटें मामूली प्रकृति की हैं। यह भी बताया गया है कि सह-आरोपी को पहले ही सत्र न्यायालय द्वारा नियमित जमानत दी जा चुकी है। यह भी बताया गया है कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और अन्वेषण एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर वह उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और अन्वेषण में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।
4. दूसरी ओर, माननीय ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, एक नामजद और पांच अज्ञात व्यक्तियों ने घायल विवेक कुमार पर लाठी और रॉड जैसी कठोर वस्तुओं से हमला किया। कई चोटें मामूली प्रकृति की पाई गई हैं, सिवाय एक चोट के। आवेदक की कोई विशिष्ट भूमिका निर्धारित नहीं की गई है।

6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की यथार्थ भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. वर्तमान मामले में, अग्रिम जमानत से संबंधित विधि का स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपर्युक्त मामला अपराध में संलिप्त आवेदक- दिव्यांशु सिंह की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 50,000/- रुपये के निजी बन्धपत्र और इतनी ही राशि के दो प्रतिभूओं को प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आरोपी साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और संबंधित न्यायालय द्वारा छूट दिए जाने तक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;

(ii) आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे/उसकी/ उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोक जा सके;

(iii) आरोपी विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आरोपी संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, अभियोजन आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति, जितेंद्र कुमार सिन्हा)

18 मार्च, 2026

वीरेंद्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"